

तारीख
हुक्म

30/9/19

पत्रावली - वेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना
 पत्र वेश कर जाहिर किया की प्रार्थना
 का आज भारतीय सेवा का शुद्ध स्वराज
 8 है वर्तमान में इलमें विभाजित स्थान
 54/8, 55/8, 56/8 से 115/8 तक लगाकर
 तथा 117/8 से 144/8, 195/8 से 198/8,
 200/8 से 205/8, 209/8 से 211/8, 213/8
 से 218/8, 220/8 से 223/8 तक कुल
 विभाजित खसरे 113 है जिलकी वर्तमान
 जमाबंदी व नमशा दिवाली धारिणीक 'अ'
 है। जिलमें सब-प में अतिरिक्त संभाजीप
 आयुक्त जीव्यपुर भुराराम व अन्य वनाम
 जुगताराम राजस्य अपीय संख्या 424/8
 का वाद विचारणी है। इतर प्रार्थी ने
 प्रार्थना का में परिशिष्ट पत्र के अनुसंधान
 तर्कीय करने पर शुद्ध स्वराज 8 के सम्पूर्ण
 खसरे तथा जमाबंदी में विभाजित खसरा
 खसरो को सही तर्कीय करने हेतु
 निवेदन किया है।

पत्रावली का अवाप्तन व अद्यपन
 करने पर यह तथ्य साधने आया की
 उक्त भूमि के संबंध में पूरी में
 इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 311/16
 प्रार्थी जुगताराम | भंवराराम वगै. अन्तर्गत
 द्वारा 130, 131, 136 R/L मधीय फिनिक
 21/3/18 ससौचित आदेश न 16/18 पारित
 हुआ जिसके विरुद्ध माननीय संभाजीप

आयुक्त जोधपुर में अधीन सं ५२२/१८
अपीलकर्ता भूराम १ पुगताराम जिला
शिकाय दिनांक १२/०१/१८ को मजिस्ट्रेट
गई वहां निचारादीन भी होना बताया
गया। इसके अतिरिक्त भी वर्तमान
प्रकरण में नवीन तस्वीर प्रस्तावित
की है जो धारा १३०, १३१, १३६ एच
एच की परिधि में नहीं आती है।
प्रकरण शरहीन होने से स्वारीज
किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र
स्वारीज किया जाता है।
पत्रावाची के साथ सुमार दोहर
कारिका दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा